

अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्र मांक एफ 2()2020 / कार्मिक / प्रमुवस / 1089-1215

दिनांक 27 मई, 2020

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण।

वन विभाग।

विषय :- गृह जिले में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारियों के सबन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का परिपत्र पत्रांक 4049-4170 दिनांक 14.10.2019 एवं स्मरण पत्र क्र मांक 344-460 दिनांक 24.02.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों से आपके कार्यालय में नोन फील्ड के पदों के विरुद्ध गृह जिले में पदस्थापित किन किन क्षेत्रीय वन अधिकारियों से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में फील्ड का कार्य लिया जा रहा है एवं क्यों। कारण सहित अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी तक आप द्वारा वांछित सूचना प्रेषित नहीं की गई है जो राजकार्य में लापरवाही का घोटक है। आप तत्काल वांछित सूचना जरिये ई-मेल dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस.के.जैन)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन) जयपुर